



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना बिसंडा पुलिस द्वारा मारपीट करने व अवैध तमंचे से फायर कर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे में अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिसंडा पुलिस द्वारा मारपीट करने एवं अवैध तमंचे से फायर कर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि थाना बिसंडा क्षेत्र कस्बा ओरन के रहने वाले कुलदीप द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 20.10.2026 की रात्रि में कस्बे के लोगों ने उसके भाई के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की। जब वह अपने भाई को बचाने पहुंचा, तो आरोपी द्वारा उस पर अवैध तमंचे से फायर करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना प्राप्त होने पर थाना बिसंडा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। जिसके सम्बन्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त के कब्जे में अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 मिस कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गोलू उर्फ नीरज पुत्र हरिनारायण निवासी कस्बा बिसंडा थाना बिसंडा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 463/26 धारा 109/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसंडा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी थानाध्यक्ष बिसंडा
2. उ0नि0 श्री बुद्धी सागर
3. कां0 अनिल पटेल
4. कां0 अरूण गुप्ता